D:\ADN\All Letter 2015.docx84

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2,जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक–एफ. 4(1)(310)पोषा/SHG/मबावि/2007/ 29865-897 जयपुर, दिनांकः 22.4.15

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः–विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था प्रारम्भ करने के संबंध में सूचना प्रेषित करने बाबत।

प्रसंगः–समसंख्यक विभागीय आदेश क्रमांक 70826–892 दिनांक 21.08.2014

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 196/2001 में दिनांक 07.10.2004 को पारित आदेशों एवं विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत शपथ पत्र के क्रम में दिनांक 01.04.2015 से समस्त परियोजनाओ में आयुवर्ग 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के आदेश जारी किये गये है।

मा. मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा व्यक्तिगत रूप से उक्त योजना की नियमित सघन समीक्षा की जा रही है। अतः इस संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं तीन दिवस में e-mail ID adn.wcd@rajasthan.gov.in पर प्रेषित करना सुनिश्चित करावें–

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्रियाशील आं.बा. केन्द्रों की संख्या	आं.बा. केन्द्रों की संख्या जिन पर विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था प्रारम्भ की जा चुकी है	आं.बा. केन्द्रों की संख्या जिन पर विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था प्रारम्भ नहीं की गई है

राज्य में असमय वर्षा एवं ओलावृष्टि के कारण उत्पन्न स्थितियों के दृष्टिगत सभी आंगनबाडी केन्द्रों पर विभागीय निर्देशानुसार गुणवत्तापूर्ण पूरक पोषाहार की निर्बाध आपूर्ति कराया जाना सुनिश्चित करावें। किसी भी परिस्थिति में आंगनबाडी केन्द्र पोषाहार के अभाव में ड्राई नहीं होने चाहिए। निरीक्षण के दौरान आंगनबाडी केन्द्र ड्राई पाये जाने की स्थिति में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(डॉ. पृथ्वी)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर

D:\ADN\All Letter 2015.docx85

क्रमांक–एफ. 4(1)(310)पोषा/SHG/मबावि/2007/ 24891 जयपुर, दिनांकः

प्रतिलिपि सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।
4. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(आर.एस.मीना)
अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)